210

संख्या– /XVI(1)/11/7(6)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च,2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत 0602–राज्य में चाय विकास योजना हेतु पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2362/1–1(99)/2011–12, दिनांक–20–03–2012 एवं वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011, दिनांक–31–03–2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–0301–अधिष्ठान– 24–वृहद निर्माण कार्य में उपलब्ध बचत से कुल धनराशि रू0–100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र) का पुनर्विनियोग **संलग्न बी0एम0–15** के अनुसार आयोजनागत पक्ष की योजना **0602–राज्य में चाय विकास की योजना** के उप मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) इस धनराशि का व्यय जिन कार्यो के लिए मॉग की गई है, उन कार्यो पर ही व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011,दिनांक–31–03–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

क्रमशः——2

(6) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 दिनांक–30 मार्च, 2012 तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(7) विभागाध्यक्ष स्तर से आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम–17 पर दिनांक–30 मार्च,2012 तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–06–चाय विकास योजना–0602–राज्य में चाय विकास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

(9) मजदूरी हेतु भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में ही किया जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–434/वित्त अनु0–4/2011–12 दिनांक–29–03–12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–364/XVI(1)/11/7(6)/2011 ,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. जिलाधिकारी,अल्मोड़ा।
3. आयुक्त कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,रानीखेत/अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7. निदेशक चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र वर्ष 2011–12

नियंत्रक अधिकारी– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आयोजनागत प्रशासनिक विभाग–उद्यान एवं रेशम विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि का स्थानान्तरण होना है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म 00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 03–औद्यानिक विकास 0301–अधिष्ठान 24–वृहद निर्माण 15000	--	10000	5000	अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म 00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें– 06–चाय विकास योजना 0602–राज्य में चाय विकास योजना 20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता 10000 40000 योगः– 10000	50000	5000	(क) बचतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
वृहद योगः– 15000	–	10000	5000	10000	50000	5000	

पुर्नविनियोग की संस्तुति की जाती है,तथा प्रमाणित किया जाता है,कि बजट मैनुवल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

2/-

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
संख्या–434/XXVII–04 / 2011
देहरादूनः दिनांक– 29 मार्च,2012

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड,देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

रमेश चन्द्र अग्रवाल
अपर सचिव(वित्त)

संख्या–364 /XVI(2)/11/7(6)/2011 , तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
2– मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी, रानीखेत / अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चौबटिया–रानीखेत।
5– गार्ड फाइल।

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।